उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1704/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-289-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(361)-2025

लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की राज्य कर की दर को अधिसूचित करते हैं, जो उन वस्तुओं की अंत:राज्य पूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, जो यथास्थिति टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय के अधीन आते हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ(2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईंटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" पदों का क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक और अध्याय का है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य स्पष्टीकारक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और अपरिभाषित नहीं किए गए, किन्तु उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2017) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके लिये समनुदेशित हैं।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 सितंबर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

Digitally signed by M.Devaraj
Date: 20-09-2025
22:01:44